भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 167
उत्तर दिनांक: 11.03.2025

दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचा

***167. श्री अशोक कुमार रावत:**
क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों के सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के अनुकूल सरकारी भवन बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेंद्र कुमार):

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *167* के भाग (क) से (ख) के उत्तर में, जो श्री अशोक कुमार रावत, माननीय सांसद द्वारा "दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना" के संबंध में पूछा गया है, का उत्तर निम्नलिखित है:

(क) से (ख): महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों को सभी सरकारी भवनों को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें स्थायी रैंप, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेत, स्पर्श योग्य फर्श, लिफ्ट आदि सुविधाएं शामिल हैं। राज्य में अथवा उसके स्वामित्व में निहित निर्माण कार्य,भूमि और भवन,राज्य सूची का विषय है। फिर भी केंद्र सरकार इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वन की योजना (सिपडा) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्रदान करती है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों की मदद की जा सके।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को *सुगम्य भारत अभियान* (Accessible India Campaign) शुरू किया। यह अभियान दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस अभियान में तीन प्रमुख आयाम शामिल हैं - निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र। वर्ष 2014 से अब तक, SIPDA योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मौजूदा भवनों को सुलभ बनाने के लिए कुल ₹686.6 करोड़ की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षाओं के माध्यम से शेष भवनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

इससे विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नागरिक उड्डयन के लिए "सुगमता मानकों और दिशानिर्देशों" को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जिससे बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण और सेवाएं सुनिश्चित होती हैं, जिनमें व्हीलचेयर सेवाएं, रैंप, सुलभ शौचालय, स्पर्श योग्य पेविंग और फर्श, लिफ्ट, निर्दिष्ट पार्किंग आदि शामिल हैं, जो उनके सभी 153 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध हैं।

स्कूलों में दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता के संबंध में, UDISE+ रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 97.17% बालिका और सह-शिक्षा स्कूलों में समर्पित बालिका शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश दिव्यांगजन अनुकूल हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सभी 10,52,664 मतदान केंद्रों में न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं (AMF) प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्थायी रैंप और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता शामिल है।

भारतीय रेलवे के पास 8700 से अधिक स्टेशन हैं और रेलवे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का पालन करते हुए अपने सभी रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जैसे कि प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, निम्न ऊंचाई के टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, सब-वे/फुट ओवर ब्रिज के साथ रैंप/लिफ्ट आदि।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- विभिन्न स्थलों की सुगमता का ऑडिट करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 59 सुगम्यता ऑडिटरों को सूचीबद्ध किया है।
- सुगम्य भारत, एक मोबाइल एप्लिकेशन जो सुगमता से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित किया गया है, को दिव्यांग समुदाय की भागीदारी के साथ पुनः डिज़ाइन किया गया है और इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है।

इस प्रकार, मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय और सहयोग के माध्यम से जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी सरकारी भवनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

****